लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं०: 1459

उत्तर देने की तारीख : 03.05.2016

अनुसूचित जाति हेतु छात्रवृत्ति

1459. डॉ. उदित राजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु हॉस्टल के निर्माण हेतु क्या हिस्सेदारी है;

(ख) अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, भोजन की व्यवस्था, हॉस्टल में रहने और अनुरक्षण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और हॉस्टलों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क): अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के लिए नये छात्रावास भवनों के निर्माण तथा मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार दोनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र में एनजीओ और मानित विश्वविद्यालय केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र हैं। भारत सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है : -

अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के लिए :-

(i)	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय/संस्थाएं	:	100%
(ii)	एनजीओ और निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय	:	90%

अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए :-

(i)	मैचिंग शेयर आधार पर राज्य सरकारें	:	50%
(ii)	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	:	100%
(iii)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान	:	90%
(iv)	राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान	:	45%
(v)	एनजीओ और निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय	:	45%

यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालयों को अपना 45% हिस्सा नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का हिस्सा भी संबंधित कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत, 'अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' के संबंध में छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता की आय सीमा प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपए है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए अनुरक्षण भत्ता अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर वर्गीकृत समूहों के अनुसार होता है, जैसाकि नीचे दिया गया है :-

समूह	**छात्रावास में रहने वालों के लिए प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता (राशि रुपए में)**
समूह-I (मेडिसिन, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए, एम.फिल, पीएच.डी., एलएलएम, आदि)	1200
समूह-II (व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनमें उपाधि, फार्मेसी, नर्सिंग में डिप्लोमा, एलएलबी, होटल मैनेजमेंट आदि की डिग्री मिलती है)	820
समूह-III (वे सब अन्य पाठ्यक्रम जिनमें स्नातक की डिग्री मिलती है)	570
समूह-IV (मैट्रिकोत्तर स्तर के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आदि)	380

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****